संख्या-09/2016/71 ई-2/तेरह-2016-311/2000

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 फरवरी,2016

विषय:- वर्ष 2016-17 के लिये थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का क्रय मूल्य निर्धारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-142/दो-380/57ए/लाइसेंस/2016-17/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 01 दिसम्बर,2015 तथा पत्र संख्या-जी-160/दो-380/57ए/लाइसेंस/2016-17/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 31 दिसम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01 दिसम्बर,2015 तथा पत्र दिनांक 31 दिसम्बर,2015 में किये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 के लिये प्रभारवार, थोक भांग आपूर्ति दर/क्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

वर्ष	प्रभार का नाम	थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रू0 में)
2016-17	आगरा, अलीगढ एवं झांसी प्रभार	19/-
	इलाहाबाद एवं चित्रकूटधाम प्रभार	15/-
	प्रदेश के शेष प्रभारों के लिये	14/-

आपसे अनुरोध है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in